राजस्थान सरकार

निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज0, जयपुर

डॉ राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर, मदरसा बोर्ड भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर, राजस्थान.
dirminority@gmail.com दूरभाष न.: 0141–2711938, 2711978

क्रमांकः एफ ( )संस्थापन / अ.स.मा.वि. / 2014 / 5229 दिनांकः 2/7/19

विज्ञप्ति

विषय :– अल्पसंख्यक मामलात विभाग में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी के रिक्त पदों को प्रतिनियुक्ति श्रेणी के कार्मिकों से भरने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करने के क्रम में।

अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी के रिक्त पदों को प्रतिनियुक्ति श्रेणी के कार्मिकों से भरे जाने है। रिक्त पदों की संख्या, पात्रता आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट **www.minorityaffairs.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध है। पात्र एवं इच्छुक कार्मिक निर्धारित योग्यता अनुसार आवेदन पत्र दिनांक 25.07.2019 को सायं 05.00 बजे तक निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, मदरसा बोर्ड भवन, द्वितीय तल, शिक्षा संकुल परिसर, जयपुर (राज.) में पंजीकृत डाक अथवा बंद लिफाफे में व्यक्तिशः प्रस्तुत कर सकते है।

(कैलाश बैरवा)
निदेशक

राजस्थान सरकार

निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज0, जयपुर

डॉ राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर, मदरसा बोर्ड भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर, राजस्थान.

dirminority@gmail.com दूरभाष न.: 0141–2711938, 2711978

क्रमांकः एफ ( )संस्थापन/अ.स.मा.वि./2014/ 5231 दिनांकः 2/7/19

विज्ञप्ति

अल्पसंख्यक मामलात विभाग निदेशालय के अधीनस्थ जिला कार्यालयों में रिक्त पदों को प्रतिनियुक्ति श्रेणी से आपूरित करने हेतु पैनल तैयार किया जाना हैं। अतः पात्र एवं इच्छुक अधिकारियो/कर्मचारियों से निम्नांकित पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है :–

क्र.स.	नाम पद	पे–मैट्रिस लेवल	अर्हताऍं	रिक्त पद
1	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी	लेवल– 12	पे–मैट्रिक्स लेवल 12 में 3 वर्ष का अनुभव	23
2	कार्यक्रम अधिकारी	लेवल– 11	पे–मैट्रिक्स लेवल 11 में 3 वर्ष का अनुभव	19

इच्छुक आवेदक अपना आवेदन पत्र निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग, डॉ0 राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर, मदरसा बोर्ड भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर, राजस्थान, जयपुर को प्रतिनियुक्ति हेतु दिनांक 25.07.2019 तक पंजीकृत डाक अथवा बन्द लिफाफे में व्यक्तिशः कार्यालय में प्रस्तुत कर सकेंगे। पात्र आवेदकों को साक्षात्कार की दिनांक, समय एवं स्थान की जानकारी से यथा–समय अवगत करा दिया जायेगा।

उपरोक्त रिक्त पदों को समान पे–मैट्रिक्स लेवल के पदों अथवा इससे उच्च पे–मैट्रिक्स लेवल के पदों पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापन हेतु प्रथम प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।

आवश्यक शर्ते :–

1. प्रतिनियुक्त कर्मियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतन भत्तों के अतिरिक्त अन्य लाभ देय नहीं होगें।
2. चयनित अभ्यर्थी का प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापन प्रथमतयाः 01 वर्ष के लिये किया जावेगा एवं कार्य संतोषप्रद होने की स्थिति में कार्य अवधि में अभिवृद्धि की जा सकेगी।
3. अभ्यर्थी के खिलाफ वर्तमान में किसी प्रकार की जांच कार्यवाही/अपराधिक प्रकरण, प्रस्तावित/लम्बित/विचाराधीन नहीं होने चाहिए। उक्त आशय का विभागाध्यक्ष का प्रमाण--पत्र अपने आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।
4. रिक्त पदों की संख्या घटाई/बढायी जा सकती है।
5. प्रतिनियुक्ति हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों से प्राप्त किसी भी प्रार्थना पत्र को बिना कारण बताये अस्वीकार करने का सम्पूर्ण अधिकार विभागाध्यक्ष का होगा, जिसके लिए कोई भी अभ्यर्थी आपत्ति उत्पन्न नहीं कर सकेगा।
6. प्रतिनियुक्ति हेतु अभ्यर्थी आवेदन पत्र के लिफाफे पर आवेदित पद का स्पष्ट रूप से अंकन करेंगे तथा प्रत्येक पद के लिए अलग–अलग आवेदन प्रस्तुत करेंगे।
7. उपरोक्त सारिणी में दर्शाये रिक्त पदों के अतिरिक्त भविष्य में रिक्त होने वाले पदों की संभावना के आधार पर पदस्थापन हेतु एक पैनल तैयार किया जावेगा, जिनमें आवश्यकता एवं वरीयता के आधार पर पदस्थापन किया जा सकता है।

कृ.प.उ.

8. अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र के साथ पे–मैट्रिक्स लेवल में अनुभव का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की स्व–प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
9. सफल आवेदकों का पदस्थापन उनके विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र के पश्चात् आवश्यकतानुसार राजस्थान के किसी भी जिले में किये जाने का अधिकार विभाग को होगा।

(कैलाश बैरवा)
निदेशक

क्रमांकः एफ ( )संस्थापन/अ.स.मा.वि./2014/ 5232-37 दिनांकः 2/7/19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
4. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर।
5. सहायक निदेशक (चतुर्थ)/सूचना सहायक, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर निर्देश है कि विभागीय वेबसाईट पर तत्काल अपलोड करें।
6. सूचना बोर्ड, कार्यालय हाजा।
7. रक्षित पत्रावली।

2.7.19

(डा0 गुंजन सोनी)
अतिरिक्त निदेशक